जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय, बलिया,
Jananayak Chandrashekhar University, Ballia,

पत्रांकः जे0एन0सी0यू0/आर0कैम्प(सा0प्र0)/ /2019 दिनांकः जुलाई 2019

सेवा में,

प्रबन्धक, समस्त अनुदानित/स्ववित्तपोषित
सम्बद्ध जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय,
बलिया

विषयः–विश्वविद्यालय प्रबन्ध समिति के अनुमोदन हेतु प्राप्त प्रस्तावों के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदय,

कृपया विश्वविद्यालय हेतु वर्तमान में प्रभावी महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी की प्रथम परिनियमावली के धारा 37 तथा 49 (ड.) के परिनियम 12 .05 में प्रबंन्धतंत्र के सविधान में निम्नलिखित व्यवस्था का उल्लेख हैः–

(क) महाविद्यालय का प्राचार्य प्रबन्धतत्र का पदेन सदस्य होगा।
(ख) प्रबन्धतंत्र के पच्चीस प्रतिशत सदस्य (जिसमें प्राचार्य सम्मिलित नहीं है) अध्यापक होंगे और चक्रानुक्रम से ज्येष्ठताक्रम में एक वर्ष की अवधि के लिये ऐसे सदस्य होंगे।
(ग) प्रबन्धतंत्र का एक सदस्य महाविद्यालय के तृतीय श्रेणी वर्ग के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों में से होगा, जिसका चयन चक्रानुक्रम से ज्येष्ठताक्रम में एक वर्ष की अवधि के लिये किया जायेगा।
(घ) खण्ड–(ख) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए प्रबन्धतंत्र के कोई दो सदस्य धारा–20 के स्पष्टीकरण के अर्थान्तर्गत एक दूसरे के नातेदार न होंगे और न तो कोई ऐसा सदस्य ही होगा जो धारा–39 के अधीन सदस्य होने के लिये अनर्ह हो। प्रबन्ध समिति का कार्यकाल 05 वर्ष से अधिक नहीं होगा और कोई भी पदाधिकारी कुल मिलाकर दो पदावधियों से अधिक के लिये कोई पद धारण नहीं करेगा।

अतएव, उपर्युक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि माहविद्यालय की प्रबन्ध समिति परिनियमावली के उक्त प्राविधानानुसार गठित किये जाने हेतु अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें। उक्तानुसार प्राप्त न होने वाले प्रस्तावों पर विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदन प्रदान किया जाना सम्भव नहीं होगी।

भवदीय,

(संजय कुमार)
कुलसचिव